परिवहन विभाग द्वारा संभावित लाभार्थियों के लिये पंजीकरण शुरू

चर्चा में क्यों?

11 अगस्त, 2021 को उत्तराखंड परिवहन विभाग द्वारा कोविड-19 की वजह से लगे लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुए प्रत्येक पात्र लाभार्थी को 2,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये उनका पंजीकरण शुरू किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इसमें जिन सार्वजनिक परिवहन ऑपरेटरों, कंडक्टरों और सफाईकर्मियों की आजीविका लॉकडाउन की वजह से प्रभावित हुई थी, उनका पंजीकरण शुरू किया गया है।
- क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) संदीप सैनी के अनुसार पात्र सार्वजनिक परिवहन परिचालक, परिचालक एवं सफाईकर्मी http://uk.gov.in पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
- इसके लिये आवेदकों को बैंक खाते के विवरण के अलावा, जिस वाहन पर वे काम करते हैं, उसके ड्राइविंग लाइसेंस नंबर का उल्लेख करना होगा।
- सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करने के बाद, आवेदक को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति के बारे में एक संदेश प्राप्त होगा। आवेदन को अस्वीकार करने का कारण संदेश में उल्लेखित किया जाएगा। आवेदक सही जानकारी के साथ फिर से आवेदन कर सकते हैं।
- विभाग द्वारा अगले छह महीनों के लिये लाभार्थियों को धन के आसान हस्तांतरण हेतु आवेदकों को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उनके बैंक खातों और आवेदन में उल्लिखित नाम एकसमान है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/registration-of-potential-beneficiaries-by-transport-department